



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन विभाग, नगर निगम, अजमेर



आजाद पार्क के पास अजमेर दूरभाष नं. 0145- 2429000 / 101

क्रमांक :- F.12(09)(.....)/FIRE/AMC/2023-24/1015


दिनांक :- 03/11/23

Birla Public School
Milestone 82 NH-8 (Jaipur Ajmer Highway)
Kishangarh, Ajmer (Rajasthan)

विषय :- अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतु अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर में स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बाबत।
संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र के कम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत विद्यालय व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन यंत्र/उपकरणों, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरिल, हाईड्रेन्ट सिस्टम आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये। भविष्य हेतु भी इन्हे निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था हाईड्रेन्ट आदि को सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तों की पालना करने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा-पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. विद्यालय परिसर में उपलब्ध फायर एक्टींग्यूशर को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
3. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
4. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त फायर एक्टींग्यूशर का समय पर रख-रखाव किया जाकर कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
5. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
6. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
7. उक्त अग्निशमन अभिशंषा प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
8. एन.बी.सी. के नियमों की पालना करनी होगी।
9. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र/उपकरण अकार्यशील पाए जाते हैं तो यह अभिशंषा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।


अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम अजमेर
गौरव तवर
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर